

# कार्यालय अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी (म0प्र0)

—:वार्षिक ई-निविदा प्रथम आमंत्रण सूचना:—

वार्षिक ठेका वर्ष 2026-27

खण्ड-02 (सिलाई उद्योग)

निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विहित फार्म में सील बंद ई-निविदाएँ निम्नलिखित वस्तुओं के लिए आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदा जमा होने की अंतिम तिथि व समय 01.06.2026 समय सायंकाल 05:30 बजे तक रहेगी। सामग्री के भाव दिनांक 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष में नवीन ठेका स्वीकृत होने तक वैध रहेंगे।

क्रं.	सामग्री का नाम	मात्रा (मीटर/नग)	किस्म	कैफियत
01	अस्तर कॉटन	4000 मीटर	उच्च किस्म	शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं से प्राप्त न होने पर क्रय किया जावेगा।
02	पॉकेट कॉटन	1250 मीटर	उच्च किस्म	तदैव
03	बकरम	1250 मीटर	उच्च किस्म	तदैव
04	कॉलर जैकेट की	5000 नग	उच्च किस्म	तदैव
05	जैकेट कपडा	4750 मीटर	उच्च किस्म	तदैव
06	कुर्ता पायजामा कपडा सफेद	5000 मीटर	उच्च किस्म	तदैव
07	कुर्ता कॉलर	1700 नग	उच्च किस्म	तदैव
08	धागा गिट्टी	7000 नग	उच्च किस्म	तदैव
09	मशीन तेल	20 लीटर	उच्च किस्म	तदैव
10	सुई मशीन 18 नम्बर	500 नग	उच्च किस्म	तदैव
11	सुई अम्ब्रेला मशीन	500 नग	उच्च किस्म	तदैव
12	कैंची	200 नग	उच्च किस्म	तदैव
13	इंची टेप	50 नग	उच्च किस्म	तदैव
14	चौक डिब्बा	50 पैकेट	उच्च किस्म	तदैव
15	कैंची धार कराई	100 नग	उच्च किस्म	तदैव
16	सटल	40 नग	उच्च किस्म	तदैव
17	मशीन वॉबीन	40 नग	उच्च किस्म	तदैव
18	मशीन सिटल	40 नग	उच्च किस्म	तदैव
19	मशीन नॉल	40 नग	उच्च किस्म	तदैव
20	अम्ब्रेला मशीन मोटर बेल्ट	40 नग	उच्च किस्म	तदैव
21	जैकेट बटन	25000 नग	उच्च किस्म	तदैव
22	कुर्ता बटन	5000 नग	उच्च किस्म	तदैव
23	सुई साधा हाथ वाली	40 पैकेट	उच्च किस्म	तदैव
24	अम्ब्रेला मशीन मोटर कार्बन	40 नग	उच्च किस्म	तदैव
25	प्रेस पत्ता	10 नग	उच्च किस्म	तदैव
26	प्रेस प्लग	10 नग	उच्च किस्म	तदैव
27	मशीन चुटकी	20 नग	उच्च किस्म	तदैव
28	मशीन मोटर	10 नग	उच्च किस्म	तदैव

1. उपरोक्तानुसार सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
2. उपरोक्त सामग्री शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं से प्राप्त न होने पर क्रय की जावेगी।
3. निविदा में दरें अंकित करते समय सामग्री के ब्रांड का स्पष्ट खुलासा करें।

जेल अधीक्षक  
सर्किल जेल शिवपुरी

### जेल उद्योग सामग्री की निविदा सूचना की सामान्य शर्तें

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जेल उद्योगों में लगने वाले कच्चे माल/ सामग्री के क्रय की कार्रवाई मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) एवं जेल उद्योग (सिद्ध दोष व्यक्तियों का नियोजन) नियम 2021 के अंतर्गत निविदाएं एम. पी. ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जाएगी।
2. निविदा संबंधी जानकारी जेल विभाग की वेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क रु. 1000/- विभाग के प्राप्ति शीर्ष 0056 जेलें 800 अन्य प्राप्तियों में ऑन लाइन जमा करना होगा।
3. निविदाएं खण्डवार ऑनलाइन जमा की जाएगी। निविदा में 3 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि खण्डानुसार [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी प्रतिभूति राशि का विवरण खण्डानुसार है:-

खण्ड क्रमांक	उद्योग का नाम जिसके लिए कच्चा माल क्रय किया जाना	कच्चे माल की कुल लागत	3 प्रतिशत प्रतिभूति राशि
खण्ड-01			
खण्ड-02			
खण्ड-03			

4. वार्षिक ई-निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30.06.2024 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक जो भी प्रथम हो, वैध रहेंगे।
5. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएंगी। तिथि परिवर्तन की सूचना [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को पृथक से सूचित किया जायेगा।

2

924  
 31/5/2023  
 एम.आर.पटेल  
 जेल उप निदेशक  
 जेल मुख्यालय, पो.

6. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3/भोपाल, दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र-(अ) एवं (ब) में पृथक-पृथक रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्रों को ऑनलाईन अपलोड किया जाएगा। शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है:-

**शपथ पत्र-अ**

(कारागार अधिनियम-1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं.....जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल.....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म.....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.....के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

**शपथ पत्र-ब**

(जेल मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3 बंदी मृत्यु/2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं.....जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल.....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म.....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.....के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

7. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर अपलोड कराए जाएंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा प्ररीक्षण कर, हस्ताक्षर किए जावेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेंगे:-

9/1/2023

तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

- I. आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की प्रति
  - II. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र
  - III. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछलि तिमाही (Quarter) का जी.एस.टी. रिटर्न
  - IV. विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण -पत्र
  - V. शपथ पत्र 'अ' एवं 'ब'
  - VI. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद का वैध लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैध लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।
  - VII. मान्यता प्राप्त संस्थान से सूत-ऊन की टेस्ट रिपोर्ट
  - VIII. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से संबंधित-पत्र ।
  - IX. वस्तुओं के ब्रांड से संबंधित-पत्र।
8. निविदा के साथ संलग्न किये गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाये जाते हैं तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरुद्ध वैधानिक /कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  9. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत प्रदाय आदेश जारी होने पर अनुबंध पत्र के साथ सामग्री के कुल मूल्य का 3 प्रतिशत राशि की निष्पादन प्रतिभूति की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. के रूप में जेल अधीक्षक के नाम से जिसकी अवधि निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि तक के लिए वैध होना चाहिए।
  10. निविदा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
  11. प्रत्येक सामग्री के डिलेवरी का एफ.ओ.आर. प्रदेश की संबंधित जेल के गेट पर होगी। जिसका उल्लेख क्रय आदेश में किया जावेगा।
  12. निविदा प्रस्तुत करने वाले संस्थान की निविदा प्रपत्र पर फर्म की सील एवं फर्म का नाम, पूरा पता एवं विवरण अंकित होना चाहिए ।
  13. कोई भी निविदा बिना कारण बताए पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल को होगा, सबसे कम दर की निविदा स्वीकृत करने के लिए महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं,

१२५५  
३१/११

मध्यप्रदेश भोपाल बाध्य नहीं होंगे, न ही इस संबंध में पत्राचार स्वीकार किया जाएगा।  
सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

14. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। क्रय समिति के निर्णय के पूर्व निविदा वापस लेने पर प्रतिभूति राजसात कर दी जावेगी।
15. निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति जारी होने के 07 दिवस के अंदर रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विधिवत रूप से अनुबंध जेल अधीक्षक वास्ते महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं म.प्र. के पक्ष में तैयार कराया जाकर हस्ताक्षर/पदमुद्रा सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
16. प्रतिभूति राशि निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात ही वापस की जाएगी।
17. सफल निविदाकार को सामग्री का प्रदाय अनुबंध के अनुसार आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इंडेंट के आधार पर जेल गेट पर करना होगा, इसके लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। समय पर सामग्री की प्रदायगी न करने की स्थिति में खुले बाजार से सामग्री का क्रय किया जाएगा, तथा खुले बाजार से सामग्री क्रय करने पर स्वीकृत न्यूनतम दर से यदि अधिक दर बाजार से सामग्री क्रय करने पर आएगी तो अन्तर की राशि प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति राशि से अथवा भुगतान किए जाने वाले देयकों से वसूल की जावेगी।
18. निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री निर्धारित मापदंड अनुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।
19. कच्चे माल की प्रदायगी स्वीकृत ट्रेडमार्क ब्राण्ड अथवा नमूने के अनुसार की जाएगी। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत सामग्री निविदाकार को अपने व्यय से तुरंत वापस ले जाकर स्वीकृत ट्रेडमार्क, ब्राण्ड अथवा नमूना अनुसार सामग्री प्रदान करना होगा प्रदान न करने पर अस्वीकृत किया गया कच्चा माल/ सामग्री व्यापारी को जेल गेट से स्वयं के व्यय पर निर्धारित समय में वापस ले जाना होगा, अन्यथा वस्तुओं की

8 928/3115 6

नीलामी कर दी जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि में से नीलामी का खर्च काटकर शेष राशि व्यापारी को वापस कर दी जाएगी।

20. यदि निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय नहीं करते हैं तथा अवधि में विस्तार के लिये अनुरोध भी नहीं करते हैं तो क्रयादेश स्वयंमेव निरस्त हो जाएगा तथा उसका नाम काली सूची (BLACK LIST) में एक निश्चित अवधि के लिये दर्ज किया जाएगा। उक्त अवधि में विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रदाय आदेश नहीं दिए जायेंगे।
21. समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने की दशा में तर्कसंगत कारण होने पर प्रदायावधि केवल एक बार ही बढ़ाई जा सकती है। विस्तारित अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली सामग्री पर 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी। पेनाल्टी की गणना हेतु सामग्री का प्रदाय टुकड़ों (किशतों) में स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्रय आदेश में उल्लेखित सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त होने की तिथि को ही सामग्री प्राप्ती की दिनांक माना जाकर पेनाल्टी गणना की जाएगी। पेनाल्टी की गणना मूल कीमत पर की जाएगी इसमें टेक्स शामिल नहीं किया जाएगा।
22. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार हेतु अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर एवं Email ID उपलब्ध कराना होगा, निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिंटेड लेटरपेड पर मोबाइल नम्बर एवं Email ID में से कोई 01 भी अंकित किया है, तो उसे मान्य किया जाएगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होंगी।
23. प्रदाय किए जाने वाले कच्चे माल जैसे कि सूत, सोडीयार्न आदि का मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी से परीक्षण कराया जाएगा, स्पेसिफिकेशन के अनुसार सूत, सोडीयार्न आदि पाए जाने पर ही निविदाकार को देयक की राशि का भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
24. निविदा में प्रस्तुत की गई दरें समस्त करों सहित होंगी। दरें अंको एवं शब्दों में दर्ज की जाएंगी।
25. यदि निविदाकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री दिए गए स्पेसिफिकेशन से उच्च गुणवत्ता/ अतिरिक्त फीचर्स का है, तो इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख स्पेसिफिकेशन शीट में किया जाए।
26. सामग्री गुणवत्तापूर्ण एवं स्पेशिफिकेशन के अनुरूप ही पाये जाने पर ई-पेमेंट से भुगतान किया जाएगा। शासकीय भुगतान में किन्हीं कारणों से भुगतान विलंब होता है, तो विलंब के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा किए जाने वाले भुगतान से नियमानुसार जी.एस.टी. एवं अन्य प्रावधानित करों की कटौती कर किया जाएगा।

8 9349  
21/5 7

- 27. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जायेगी।
- 28. निविदा तथा करारनामे के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
- 29. निविदाकार को निविदा की सभी निविदा शर्तें मान्य हैं, के संबंध में घोषणा-पत्र/ शपथ-पत्र रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।  
(महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा अनुमोदित)

927  
 31/5/2023  
 एम.आर.पटेल  
 जेल उप महानिरीक्षक (कल्याण)  
 जेल मुख्यालय, भोपाल

जेल अधीक्षक  
 सर्किल जेल...  
 मध्य प्रदेश

## कार्यालय अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी (म0प्र0)

Email ID - jailshivpuri@gmail.com


दूरभाष(गेट-07492,234102)(कार्यालय-07492,234153)

### ::वार्षिक ठेका वर्ष 2026-27 हेतु जारी सूचना::

निविदा वर्ष 2026-27 में भाग लेने वाले समस्त निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि निविदा में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के साथ-साथ निम्नानुसार दस्तावेज लगाया जाना सुनिश्चित करें, जो निम्नानुसार है:-

- (1) प्रत्येक शपथ पत्र रूपये 200/- के साथ-साथ नोटराइज स्टाम्प शुल्क रूपये 50/- का लगाया जाना।
- (2) FSSAI लाइसेंस में फूड कैटेगरी (खाद्य श्रेणी) का उल्लेख करते हुये सूची अपलोड किया जाना।

नोट:- अपलोड किये जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रति पूणतः स्वच्छ एवं स्पष्ट प्रदर्श होनी चाहिए।

  
जेल अधीक्षक  
सर्किल जेल शिवपुरी